कार्यालय : मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :– स्थापना / 2021 / 86 दिनांक :–20.04.2021

–:: आदेश ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र 05 / पी.आई. / 2021 दिनांक 19.04.2021 के अनुसरण में परिवर्तित परिस्थितियों में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने एवं निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस न्यायालय / अधिकरण में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक निम्न कार्यव्यवस्था अमल में लाई जाती है :–

01.– कोई भी अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के ई–मेल पते **mact-pra-rj@hcraj.nic.in** पर भेजे जायेंगे, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किये जायेंगे कि जैसे ही नियमित रूप से न्यायालय कार्य चालु होता है, उस समय उस प्रकरण / प्रार्थना पत्र की मूल प्रति पक्षकार / अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय / अधिकरण में 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर दिये जावेंगें। अधिकृत ई–मेल पर भेजे जाने वाले अति आवश्यक प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि के साथ पक्षकार / अधिवक्ता के वे मोबाईल नम्बर जिस पर वॉट्सअप है, का विवरण तथा पक्षकार / अधिवक्ता का सम्पूर्ण पता व ई–मेल पता उसके साथ भेजा जायेगा। उसके बिना उपरोक्त प्रकरण / प्रार्थना पत्र ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होंगे।

02.– अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवायी विडियो–कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा विडियों कॉल / वॉट्सअप / वाईसकॉल के माध्यम से की जायेगी।

उक्त अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथिया सुनिश्चित की जाती हैं। यदि किसी प्रकरण में स्थगन आदेश प्रभावी है तो यह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
20.04.2021	06.05.2021
22.04.2021	10.05.2021
23.04.2021	12.05.2021
24.04.2021	13.05.2021
26.04.2021	07.05.2021
27.04.2021	11.05.2021
28.04.2021	17.05.2021
29.04.2021	15.05.2021
30.04.2021	15.05.2021
01.05.2021	17.05.2021
03.05.2021	19.05.2021

परिवर्तित दिनांक शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता हैं तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करेगा तथा यदि न्यायालय / अधिकरण सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि प्रकरण वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

Sd/-
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :– स्थापना / 2021 / 87-89 दिनांक :–20.04.2021

प्रतिलिपि सुचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़
2. अधिवक्ता संघ, को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावें तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वें अपनें पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
3. आदेश की प्रति सिस्टम ऑफीसर को प्रेषित कर लेख है कि न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावें।

20/4/2021
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)